

रविर सटीज एलायंस

प्रलमिस के लयि:

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन, शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, नमामा गिंगे कार्यक्रम, गंगा एक्शन प्लान

मेन्स के लयि:

रविर सटीज एलायंस के उद्देश्य एवं महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मलिकर रविर सटीज एलायंस (River Cities Alliance- RCA) लॉन्च किया है।

- यह भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर भारत में एक समर्पित विचार मंच है।

प्रमुख बडि

■ रविर सटीज एलायंस:

- गठबंधन तीन व्यापक वर्षियों पर ध्यान केंद्रित करेगा- नेटवर्कगि, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता।
- हालाँकि गठबंधन की शुरुआत [गंगा बेसिन](#) शहरों के साथ हुई थी, लेकिन इसे बेसिन से बाहर के शहरों को भी शामिल करने के लिये विस्तारित किया गया था। रविर सटीज एलायंस में निम्नलिखित शहर शामिल हैं:
- देहरादून, हरद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बरहामपुर, हुगली-चनिसुराह, हावड़ा, जंगीपुर, महेशतला, राजमहल, साहबिगंज, अयोध्या, बजिनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा-वृंदावन, मरिजापुर, पर्यागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर और वजियवाड़ा हैं।
- [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन](#) (National Mission for Clean Ganga- NMCG) और [शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान](#) (National Institute for Urban Affairs- NIUA) ने RCA को शुरू करने के लिये गठबंधन किया है।

■ उद्देश्य:

- सदस्य शहरों को शहरी नदियों के सतत प्रबंधन हेतु महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करना।
- नदी से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और उपकरणों को अपनाने की दिशा में काम करना।
- शहरों के लिये शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना और शहर-वशिष्ट क्षेत्रीय रणनीतियों विकसित करना जो स्थायी शहरी नदी प्रबंधन के लिये आवश्यक हैं।

■ महत्त्व:

- यह शहरों को एक-दूसरे की सफलताओं और असफलताओं से सीखने के साथ-साथ लोगों को नदियों से जोड़ने में सक्षम बनाएगा।
- यह शहरों को उनकी नदियों से जोड़ने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यह बेसिन तथा उससे आगे के सभी शहरों के अनुकरण के लिये एक मॉडल हो सकता है।
- यह नगर नगिम के प्रशासकों और उनकी टीमों को पथ-प्रदर्शक पहल और एक-दूसरे से सीखने व प्रेरित करने का अवसर देगा।
- यह शहरों को नदी के शासन संबंधी पहलुओं को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करता है और बाहरी आर्थिक नविशों को आकर्षित करने हेतु उनकी जीवंतता में सुधार करता है, अत्याधुनिक ज्ञान और अवसररचना के साथ-साथ अद्वितीय परियोजनाओं के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

■ सफिरशिन

- शहरों को अपनी नदियों के कायाकल्प के लिये उत्तरदायी होना चाहिये। इसे न केवल एक नियामक मानसिकता के साथ बल्कि एक विकासोन्मुख और सुवर्धजनक दृष्टिकोण के साथ भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- शहरी जल चक्र तथा शहरी निर्माण के बीच एकीकरण के लिये एक रूपरेखा की आवश्यकता है।
- नदियों की बगिड़ती स्थिति के लिये बड़े पैमाने पर शहरों को उत्तरदायी ठहराया गया है और इसलिये कायाकल्प के प्रयासों में भी उनकी

- महत्त्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता होगी।
- शहरों के लिये योजना बनाते समय नदी संवेदनशील दृष्टिकोण को मुख्यधारा में अपनाने की आवश्यकता है।

संबंधित पहल

- **नमामांगो कार्यक्रम:** यह राष्ट्रीय नदी 'गंगा' के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एक एकीकृत संरक्षण मशिन के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- **गंगा एक्शन प्लान:** यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्ज़न और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था।
- **राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA):** इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया था।
- **स्वच्छ गंगा कोष:** इसे वर्ष 2014 में गंगा की सफाई, अपशष्टि उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये बनाया गया था।
- **भुवन-गंगा वेब एप:** यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की नगिरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **अपशष्टि नपिटान पर प्रतिबंध:** वर्ष 2017 में **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)** ने गंगा में किसी भी प्रकार के कचरे के नपिटान पर प्रतिबंध लगा दिया।

स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/river-cities-alliance>

